समाहरणालय, मधेपुरा।

पत्रांक- 464 /सा0सु0को0,

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,

सेवा में,

जिला सूचना पदाधिकारी,
मधेपुरा।

दिनांक- 4 सितम्बर, 2014

विषय- अन्तरजातीय विवाह संबंधी अधिसूचना जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में सूचित करना है कि अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन लाभ संबंधी अधिसूचना जिला के बेवसाईट पर अपलोड कराना है ताकि लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके इस योजना का लाभ ले सके।

विश्वासभाजन

04/09/14

सहायक निदेशक,
सा0सु0कोषांग, मधेपुरा।

अनुलग्नक

1. अन्तरजातीय विवाह संबंधी अधिसूचना।

Naushad/e/drive/letter/53

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

।। अधिसूचना ।।

सं० सं० – 1532 पटना–15, दिनांक– 07/08/14

मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना सं0–03 दिनांक–04.03.14 एवं संशोधित अधिसूचना विषयक स्वीकृत्यादेश सं0–59 दिनांक–11.06.14 द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन नियमावली, 2014 के अंतर्गत समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छुआछूत की भावना को समाप्त करने तथा अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता सरलता से प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी है।

2. राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के लिए राशि ₹50,000/– (रुपये पचास हजार) मात्र अनुदान के रूप में दी जाएगी। स्वीकृत अनुदान राशि विवाह सम्पन्न होने के बाद तीन महीने के भीतर संबंधित वधू को अधिकतम परिपक्वता राशि (Return) देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किया जायेगा, जिसकी अवरुद्धता अवधि (Lock-in-paid) न्यूनतम तीन वर्ष की होगी।

3. इस योजना के अधीन निम्नलिखित विवाह अंतर्जातीय विवाह नहीं माना जायेगा :–

(i) पति या पत्नी के रहते पुनर्विवाह करना;

(ii) विवाह विच्छेद के बाद पुनर्विवाह करना;

(iii) एक जाति की उप जातियों के बीच विवाह, यथा–ब्राह्मण जाति की कान्य–कुब्ज, शकलदीपी, मैथिल, भूमिहार आदि उप जातियों के बीच विवाह और उसी प्रकार राजपुत, कायस्थ, कुर्मी तथा अन्य जाति आदि की उपजातियों के बीच विवाह।

4. विवाहित दम्पति में से वर या कन्या किसी एक को भी बिहार के निवासी होने का प्रमाण पत्र उपस्थापित करना होगा, अन्यथा वे इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

5. आदिवासी का गैर आदिवासी के साथ सम्पन्न विवाह अंतर्जातीय विवाह माना जाएगा। उसी प्रकार आदिवासियों की चिन्हित सभी जातियों में से किसी जाति से भिन्न अन्य आदिवासियों के जाति के साथ विवाह अंतर्जातीय विवाह माना जाएगा यथा उरांव का मुण्डा, संथाल, खड़िया आदि के साथ अथवा मुण्डा का पहड़िया आदि के साथ विवाह को अंतर्जातीय विवाह माना जाएगा।

6. अन्तर्धार्मिक विवाह इस नियमावली के अधीन शामिल नहीं होगा।

7. अनुदान हेतु आवेदन पत्र वांछित कागजातों (आवासीय, जाति प्रमाण पत्र एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र) आदि के साथ अनुदान हेतु सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में दिया जायेगा।

8. प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवेदनकर्त्ता को नियम 7 के अन्तर्गत दी जाएगी।

9. सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई द्वारा संबंधित आवेदन पत्र को जाँच एवं अनुशंसा हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा।

10. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला पदाधिकारी से अनुदान की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

11. जिला पदाधिकारी से स्वीकृत्योदश प्राप्त होने के पश्चात् सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई के द्वारा स्वीकृत राशि का अधिकतम परिपक्वता राशि (Return) देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र वधु के नाम से निर्गत कराया जाएगा।

12. जिला स्तर पर सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई इस योजना के लिए उत्तरदायी होंगे।

13. इस योजना हेतु निदेशक, समाज कल्याण द्वारा राशि का आवंटन सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई को दिया जायेगा जो इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

14. जिला स्तर पर सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पीड़ित/पीड़िता योजना से संबंधित अपील संबंधी प्रमण्डलीय आयुक्त के यहाँ आदेश पारित होने के 30 दिनों के अन्दर करेंगे। इस अपील का निष्पादन अपील दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जाएगा। अपवाद स्वरूप इस अवधि को उचित कारणों को अंकित कर बढ़ाई जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में बढ़ाई गई अवधि 60 दिनों से अनधिक होगी।

15. अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर समाज कल्याण विभाग में पुनरीक्षित आवेदन पत्र दायर किया जा सकेगा, जिस पर समाज कल्याण विभाग द्वारा जाँचोपरान्त निर्णय लिया जायेगा, जो अंतिम होगा।

16. किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध इस नियम के अधीन सदाशय से किया गया कार्य या कार्य करने की प्रवृति के विरूद्ध कोई विवाद या न्याय प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी।

17. अंतर्जातीय विवाह अनुदान हेतु पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/आदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक–10/अ0वि0–16/97 (खंड)– 1532 पटना, दिनांक– 07/08/14

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को असाधारण अंक में (सी0डी0 एवं 5 हार्ड प्रति सहित) प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक–10/अ0वि0–16/97 (खंड)– 1532 पटना, दिनांक– 07/08/14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना/निदेशक, आई0सी0डी0एस0, बिहार, पटना/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय/सभी सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी एवं सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक–10/अ0वि0–16/97 (खंड)– 1532 पटना, दिनांक– 07/08/14

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना एवं आप्त सचिव, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमरनाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा, प्रखंड का नाम–................, जिला का नाम ....

जाँच पत्रक

प्रमाणित किया जाता है कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई जिला– .... द्वारा उपलब्ध कराये गये, आवेदक श्री .... पिता का नाम.. आवेदिका श्रीमती .... पिता का नाम .... के आवेदन में अंकित सूचना/तथ्य की जाँच की गयी। जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

	नाम	उम्र	पिता/माता का नाम	आवासीय पता	धर्म	जाति/उपजाति	विवाह की तिथि/विवाह स्थल	विवाह निबंधन प्रमाण पत्र	पति/पत्नी के रहते हुये पुर्नविवाह (हां/नहीं)	विवाह विच्छेद के बाद पुर्नविवाह (हां/नहीं)
वर										
वधु										

जाँचोपरांत सूचनाएँ/तथ्य सही पाये गये हैं। आवेदक को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक–सह–जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला– .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर